2022 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 7 का संशोधन।
5. धारा 8क का अन्तःस्थापन।
6. धारा 13 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(चक) "सामूहिक धर्म परिवर्तन" से, ऐसा धर्म परिवर्तन अभिप्रेत है जहाँ एक ही समय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है;''।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,––

(क) परन्तुक में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि जो कोई भी उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से अन्यथा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह

करना चाहता है और अपने धर्म को ऐसी रीति में छिपाता है कि अन्य व्यक्ति, जिससे वह विवाह करना चाहता है, विश्वास करता है कि उसका धर्म वास्तव में वही है जोकि उसका है तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, से दण्डनीय होगा और वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन की बाबत धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि यदि इस धारा में वर्णित कोई द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध किया जाता है तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. धारा 7 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में "कपटपूर्ण साधनों के बिना "धर्म परिवर्तन कर रहा है" शब्दों के पश्चात् "और इस प्रभाव की उद्घोषणा करेगा कि वह धर्म परिवर्तन के पश्चात् अपने मूल धर्म या जाति की कोई प्रसुविधा नहीं लेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"5क. जो कोई उपधारा (1) के अधीन मिथ्या उद्घोषणा करता है, या जो धर्म परिवर्तन के पश्चात् अपने मूल धर्म या जाति की प्रसुविधा लेना जारी रखता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक का हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का दायी होगा।"।

धारा 8क का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"8क. धर्म परिवर्तन के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में जांच या अन्वेषण.––पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस निमित्त प्राप्त हुई शिकायतों की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा।"।

धारा 13 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 में "अजमानतीय" शब्द के पश्चात् "और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 धर्म की स्वतंत्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपंबध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, उक्त अधिनियम में सामुहिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने हेतु कोई उपबंध नहीं था। अतः इस प्रभाव का उपवंध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी उपवंध किया जा रहा है कि अधिनियम के अधीन प्राप्त शिकायतों की जांच और अन्वेषण उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण सत्र न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु दण्ड–खण्डों में कुछ मामूली परिवर्तन किए जा रहे हैं

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः....., 2022

आदेशानुसार

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

वित्तीय ज्ञापन

शून्य

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(जयराम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

अधिप्रमाणित

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)

शिमला:
तारीख:....., 2022

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

4. धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड.—जो कोई धारा 3 के उपबधों का उल्लंधन करेगा, किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा:

परन्तु जो कोई अवयस्क, महिल या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति से सम्बद्ध किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंधन करता है, जो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं हागी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।

7. धर्म परिवर्तन से पूर्व की उद्घोषणा और शुद्धता संस्कार के सम्बन्ध में पूर्व रिपोर्ट.—(1) कोई व्यक्ति, जो अन्य धर्म में परिवर्तित होने की वाँछा रखता है, तो वह कम से कम एक मास पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, अपने आशय की उद्घोषणा करेगा कि वह स्वेच्छा से या स्वतंत्र सम्मति से तथा बल, प्रपीड़न असम्यक असर, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है :

परन्तु कोई व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में वापस आता है तो कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।

(2) धार्मिक पुजारी, जो किसी व्यक्ति को एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन के लिए शुद्धता संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करता है तो वह ऐसे संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह की अग्रिम सूचना, ऐसे आरूप में, जैसा विहित किया जाए, जिला मजिस्ट्रेट या जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को, जहां ऐसा समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, एक मास पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बन्ध में पुलिस या ऐसे अभिकरण, जैसा यह उचित समझे, के माध्यम से जांच संचालित करेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में उक्त धर्म परिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य होगा।

(5) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।

13. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना.—दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 7.
5. Insertion of section 8A.
6. Amendment of section 13.

Bill No. 15 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 (Act No. 13 of 2019).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy –third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion (Amendment) Act, 2022. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (f), the following shall be inserted, namely:— Amendment of section 2.

"(fa) "mass conversion" means a conversion wherein two or more than two persons are converted at the same time;".

3. In section 4 of the principal Act,— Amendment of section 4.

(a) in the proviso, for the words "seven years", the words "ten years" shall be substituted; and

(b) after the existing proviso, the following proviso(s) shall be inserted, namely: —

"Provided further that whosoever intends to marry a person of any religion other than the religion professed by him and conceals his religion in such a manner that the other person whom he intends to marry, believes that his

religion is truly the one professed by him shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than three years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees fifty thousand, but which may extend to Rupees one lakh:

Provided further that whosoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees one lakh, but which may extend to Rupees one lakh fifty thousand:

Provided also that in case of a second or subsequent offence mentioned in this section, is committed, the term of imprisonment shall not be less than seven years, but may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees one lakh fifty thousand which may extend to Rupees two lakh.".

Amendment of section 7.

4. In section 7 of the principle Act,—

(a) In sub-section (1), after the words "fraudulent means", the words "and to the effect that he shall not take any benefit of his parent religion or caste after conversion" shall be inserted; and

(b) after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"(5A) Whoever makes a false declaration under sub-section (1), or who continues to take benefit of his parent religion or caste even after conversion, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees fifty thousand and may extend to Rupees one lakh.".

5. After section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of section 8A.

"**8A. Inquiry or investigation in respect of complaint against conversion of religion**.- No police officer below the rank of Sub-Inspector shall inquire or investigate into the complaints received in this behalf.".

6. In section 13 of the principal Act, after the words "non-bailabale", the words "and triable by the Court of Sessions" shall be inserted. Amendment of section 13.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019, was enacted with a view to provide freedom of religion by prohibition of conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any fradulent means or by marriage and for matters connected therewith. However, in the said Act there was no provision to curb mass conversion. Therefore, a provision to this effect is being made. Further, it is also being provided that the complaints received under the Act shall be investigated or inquired into by a police officer not below the rank of Sub-Inspector. Moreover, the offences punishable under the Act will be triable by the Court of Sessions. In order to make the Act more effective some minor changes are being made in the punishment clauses.

This Bill seeks to achive the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister

SHIMLA:
The_____2022

Authenticated

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act. 2019 (Act No. 13 of 2019).

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

Authenticated

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:
The_____2022

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION ACT, 2019 (ACT NO. 13 OF 2019) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

4. Punishment for contravention of provisions of section 3.—Whoever contravenes the provisions of section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to pay fine: Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and shall also be liable to pay fine :

7. Declaration before conversion of religion and pre-report about purification Sanskar.—(1) One who desires to be converted to other religion, shall give a declaration at least one month in advance, on the proforma as may be prescribed, to the District Magistrate or the Executive Magistrate specially authorized by the District Magistrate, of his intention, to convert his religion on his own volition or free consent and without any force, coercion, undue influence, inducement or fraudulent means:

Provided that no notice shall be required if a person re-converts to his parent religion.

(2) The religious priest, who performs purification Sanskar or conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give one month's advance notice of such Sanskar or conversion ceremony, on the proforma as may be prescribed, to the District Magistrate or any other officer appointed for that purpose by the District Magistrate of the district where such ceremony is proposed to be performed.

(3) The District Magistrate, after receiving the information under sub-section (1) and (2), shall conduct an inquiry through police or such agency as he deems fit, with regard to intention, purpose and cause of proposed conversion.

(4) Contravention of sub-section (1) or sub-section (2) shall have the effect of rendering the said conversion, illegal and void.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months, but may extend to one year and shall also be liable to pay fine.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but may extend to two years and shall also be liable to pay fine.

13. Offences to be cognizable and non-bailable.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) every offence committed under this Act shall be cognizable and non-bailable.

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र० शिमला—845—जुड / 2022—11—8—2022—175 प्रतियां।